हत्या/कथित आत्महत्या , पुलिस उत्पीड़न से मौत और लूट-पाट के साथ हत्या की कितनी वारदातें हुई और कितने मामलों में प्राथमिकता दर्ज की गई

(ख) क्या यह सच हैं कि उपर्युक्त अवधि के दौरान अधिकतर मौंते पुलिस उत्पीड़न के कारण हुई थी और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक का केवल स्थानान्तरण कर दिया जाता हैं जबकि वारदात के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन वारदातो के लिए कौन—कौन व्यक्ति जिमेदार है तथा सरकार जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्व क्या कार्यवाही करना चाहेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) प्रश्नधीन अवधि के दौरान में किसी पुलिस उत्पीड़न के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मरने अथवा आमत्महत्या करने का कोई मामला नहीं हुआ। तथापि, दिल्ली पुलिस ने, इसी अवधि के दौरान, चोरी के उद्देश्य के कारण हुई मौतें के दो मामले दर्ज किए।

(ग)प्रश्न नहीं उठता।

वोहरा समिति की सिफारिशें

80. **श्री राम जेठमालानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि वोहरा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपराधियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक शक्ति—प्राप्त इकाई का गठन करने का निर्णय लिया हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत जानकारी क्या हैं और

(ग) उक्त इकाई के गठन और कार्यकरण संबंधी समय—सीमा के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया हैं?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) वोहरा समिति की रिपोर्ट के संबंध में श्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद और अन्य द्वारा दायर जनहित दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20.3.1997 को फैसला दिया गया था। वोहरा समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में गठित नोडल एजेन्सी के मामले में न्यायालय ने कहा कि यह केवल एक पार्यवेक्षी निकाय हैं,जिसकी शाक्तियां स्पष्ट रूप ये वार्णित नहीं हैं और इसलिए यह जांच कार्यो की प्रगति और इसे आगे बढ़ाने में अधिक प्रभावी नहीं हो सकता हैं। इसके अलावा, नोडल एजेन्सी, विभिन्न जांच एजेंन्सियों के बीच समन्वय और सूचना के आदान प्रदान के कार्य के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन इसकी संरचान इस प्रकार की है कि जनता द्वारा इसे पूर्णत: स्वतंत्र या हर प्रकार के दवाब से मुक्त नहीं समझा जा सकता हैं। इस कारण से न्यायालय ने यह सुझाव दिसर कि इस कार्य को एक ऐसे स्वतंत्र निकाय को सौपा जाये जिसमें लोगों का पूरा भरोसा और विश्वास हो। न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त तरीके से स्थपित आनबड्समैन या लोक पाल जैसे संस्थान को लोगों का ऐसा विश्वास और सम्मान प्राप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस प्रकार का संस्थान स्थपित नहीं हो जाता हैं तब तक, वोहरा समिति की रिपोर्ट में वर्णित मिलीभगत की जाचं का प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करनी चाहिए। वोहरा समिति की रिपोर्ट के बारे मे माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों से उत्पन्न मुद्दो और विकल्पो पर सरकार ध्यान दे रही हैं।

पुलिस बल द्वारा घायल किए गए पत्रकार

81. **श्री राम जेठमलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1997 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दू" में "20 जनर्लिस्ट्ट हर्ट इन अटैक बाई पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि कुछ समाचार पत्रों के प्रतिनिधि पुलिस द्वारा घायल किए गए थे

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को घटना को विस्तृत जानकारी मिली हैं

(घ) यदि हां, तो तत्स्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और क्या सरकार यह महसूस करती है कि पुलिस बल में व्यापक